प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2023*

विषय:- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री खेमकरन, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक के पत्र संख्या-17272/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 17.05.2022, दिनांक 28.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री खेमकरन, पौटांकला, थाना-अमरिया, जनपद-पीलीभीत का निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 26.07.2012 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर अपनी पुत्रवधु की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-517/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय), पीलीभीत के आदेश दिनांक 06.10.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.01.2022 तक 09 वर्ष, 03 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष, 06 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बंदी की उम्र 55 वर्ष, महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 09 वर्ष, 03 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 06 माह, 24 दिन की भोगी गयी सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती सुशीला देवी (बन्दी संख्या-246/2017) पत्नी श्री खेमकरन, निवासिनी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-164/2023/1582(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-पीलीभीत ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।